

न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क.मांक—794 / 2008
 संस्थित दिनांक—18 / 11 / 2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा मलाजखंड,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

बुधराम पिता श्यामसिंग मरावी, उम्र—28,
 निवासी—सोनटोला लहगा कन्हार, पुलिस चौकी पाथरी,
 थाना मलाजखंड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्त**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—08 / 09 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (छः काउंट), 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—08.06.2008 को समय 12:00 बजे स्थान नयाटोला आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक—एम.एच. 31/ए.पी. 4014 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को पलटा कर आहत मन्तीबाई, निर्मलाबाई, निशाबाई, जगनीबाई, रमोतिनबाई एवं समलीबाई को साधारण उपहति कारित किया तथा आहत लताबाई को गंभीर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—08.06.2008 को दिन के 12:00 बजे ग्राम नयाटोला पुलिस चौकी पाथरी के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक—एम.एच. 31/4014 को चालक संजय परते के द्वारा तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पलटा दिया, जिसमें बैठे आहतगण को चोट आयी। आहतगण का उपचार शासकीय अस्पताल बालाघाट में कराया गया, जहां अस्पताल तहरीर के आधार पर डम्पर क्रमांक—एम.एच.31/4014 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक—0/08, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। उक्त अपराध थाना मलाजखंड के अंतर्गत घटित होने से थाना मलाजखंड के द्वारा असल कायमी अपराध क्रमांक—63/08, धारा—279, 337 भा.दं.वि. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का

मुलाहिजा करा कर, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त आहत लताबाई की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर भा.द.वि. की धारा-338 का इजाफा कर आरोपी बुधराम को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (छ: काउंट), 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी दिनांक-08.06.2008 को समय 12:00 बजे स्थान नयाटोला आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक-एम.एच. 31/ए.पी. 4014 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को पलटा कर आहत मन्तीबाई, निर्मलाबाई, निशाबाई, जगनीबाई, रमोतिनबाई एवं समलीबाई को साधारण उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को पलटा कर आहत लताबाई को गंभीर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत सुगनीबाई (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि घटना के समय वह डम्पर में काम करने गई थी। डम्पर में गिट्टी भरकर ला रहे थे तभी डम्पर नयाटोला के पास पलट गया था, जिसमें बैठे आठ लोग निर्मला, मनतिनबाई, समलीबाई और लताबाई को चोटे आयी थी। उसके हाथ में भी चोट आयी थी तथा उसका हाथ टूट गया था। उक्त दुर्घटना चालक की गलती से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकती। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वे लोग डाले में गिट्टी के ऊपर बैठे थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर मुरम डाली हुई थी। साक्षी ने इस जानकारी

से अनभिज्ञता जाहिर की है कि मुरम धसने के कारण गाड़ी पलटी थी या नहीं। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी या उतावलेपन से चलाये जाने के कथन नहीं किये गये हैं, बल्कि साक्षी के कथन से यह भी प्रकट होता है कि वह निश्चित रूप से नहीं जानती थी कि घटना के समय आरोपी ही वाहन चला रहा था। साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— मन्तीबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय आरोपी डम्पर को धीमी गति से चला रहा था। डम्पर का चक्का धस जाने से डम्पर पलट गया था, जिसमें बैठे लोगों को चोट आयी थी। घटना के समय उसके साथ डम्पर में रमोतिनबाई, समलीबाई, बोलोबाई, निशाबाई बैठी थी, जिन्हें भी चोट आयी थी। उसे कमर में चोट आयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि गाड़ी में मुरम में धसने के कारण धीरे-धीरे पलट गई थी। उसे इस बात की जानकारी है कि गाड़ी पलटने में चालक की कोई लापरवाही थी या नहीं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि डम्पर को चालक तेज गति से नहीं चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकती कि गाड़ी कौन चला रहा था। साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— निर्मला (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय करीब 8 लोग गिट्टी भरकर बैठकर जा रहे थे। उक्त डम्पर को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। डम्पर धीमी गति से चल रहा था तथा दुर्घटना कैसे घटित हुई, उसे जानकारी नहीं है। उक्त वाहन में बैठे सभी लोगों को तथा उसको चोट आयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना में वाहन के चालक की कोई लापरवाही नहीं थी, वह वाहन को धीमी गति से चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त वाहन कौन चला रहा था वह नहीं जानती तथा घटना बरसात में मुरम धसने के कारण हुई थी। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया गया है।

8— निशा (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय डम्पर को आरोपी धीमी गति से चला रहा था। उक्त वाहन कैसे पलटा उसे जानकारी नहीं है। उसे कमर में चोट आयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना में वाहन चालक की कोई लापरवाही नहीं थी तथा वाहन धीमी गति से चल रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि डम्पर मुरम में धसने के कारण पलट गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय उक्त वाहन के ऊपर बैठी थी, इस कारण उसे जानकारी नहीं

है कि वाहन को संजू परते या बुधराम चला रहा था। साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— रमोतीनबाई (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय डम्पर मुरम में धसने से पलट गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय उक्त वाहन के ऊपर बैठी थी, इस कारण उसे जानकारी नहीं है कि वाहन को संजू परते या बुधराम चला रहा था। साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— लता (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह डम्पर में काम करने गई थी। डम्पर में गिट्टी भरकर ला रहे थे तभी डम्पर नयाटोला के पास पलट गया था, जिसमें बैठे आठ लोग निर्मला, रमोतीनबाई, समलीबाई और भी लोग थे, जिन्हें चोट आयी थी। उसके कंधे में चोट आयी थी। घटना के समय आरोपी डम्पर तेज गति से लहराते हुए चला रहा था, जिस कारण वाहन पलट गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय बुधराम के अलावा अन्य कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो तो वह नहीं बता सकती। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि डम्पर सामान्य गति से चल रहा था और मुरम में धसने के कारण डम्पर धीरे-धीरे पलट गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि डम्पर पलटने में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथन से हटकर विरोधाभासी कथन प्रतिपरीक्षण में किये हैं। साक्षी के कथन से आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है।

11— समलीबाई (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि घटना के समय वह डम्पर में बैठी थी और उस समय उक्त वाहन को आरोपी चला रहा था। उक्त वाहन नयाटोला के पास पलट गया था, जिससे उसे छाती व हाथ-पैर में चोट आयी थी। साक्षी का यह भी कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि उक्त वाहन किसकी गलती से पलटा था तथा आरोपी से वाहन को अच्छे से चला रहा था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया जा रहा था और उसने पुलिस को बयान देते समय बताया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी वाहन को धीमी गति से चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया है।

12— समारू (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना के समय वह घर पर था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल से उसने डम्पर में दबे हुए लोगों को निकाला था और चालक भाग गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लोगों के बताने पर वह बचाने गया था और डम्पर को कौने, कैसे चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने दुर्घटना होने के तथ्य का समर्थन किया है किन्तु घटना का चक्षुदर्शी साक्षी न होने से साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

13— सुन्दरसिंह (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय डम्पर पलट गया था और उसमें लोग दब गये थे। गाड़ी गड्ढे में पलट गई थी। उक्त दुर्घटना में 4 लोगों को चोट आयी थी, उनके नाम वह नहीं जानता। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर सड़क का काम चल रहा था और मुरम धसने के कारण गाड़ी पलटी थी। साक्षी ने उक्त घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चालन किये जाने या उसकी गलती से वाहन पलटने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

14— संजय (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी ने पक्ष विरोधी घोषित होने व सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन मामले का जप्ती कार्यवाही के संबंध में कोई समर्थन नहीं किया गया है।

15— डॉक्टर डी.के.पाराशर (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक—08.06.2008 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ होते हुए आहतगण सुगनी, रामतीनबाई, सोमालीबाई, निर्मला, लता, निशा को आयी चोटों का परीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 लगायत प्रदर्श पी-11 है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त आहतगण को आयी चोटों के सम्बंध में कोई अभिमत नहीं दिया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आहतगण को हड्डी रोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की सलाह दी गई थी। इस प्रकार चिकित्सीय साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि तो की है कि उसने आहतगण की चोटों का परीक्षण किया था, किन्तु उन्हें आयी चोटों की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है।

16— मोहनलाल (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-08.06.2008 को जिला चिकित्सालय बालाघाट के पुलिस चौकी अस्पताल में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने चिकित्सक की लिखित तहरीर प्रदर्श पी-1 प्राप्त होने पर वाहन क्रमांक-एम.एच.31/4014 के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने सभी आहतगण के मुलाहिजा फार्म भरकर दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने समलीबाई के बताये अनुसार उक्त रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें समलीबाई ने डम्पर के चालक का नाम संजय परते बताया था। इस प्रकार साक्षी ने प्राथमिकी दर्ज करने के तथ्य के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। इस साक्षी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के समय मामले के आरोपी बुधराम को छोड़कर चालक के रूप में संजय परते का नाम सूचनाकर्ता व आहत समलीबाई के द्वारा बताये जाने का समर्थन किया है।

17— रविकांत अवस्थी(अ.सा.13) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29/06/08 को चौकी पाथरी थाना मलाजखंड में पदस्थ था। उसे पुलिस चौकी अस्पताल बालाघाट से अपराध क्रमांक-0/08, धारा 279, 337 भा.द.वि. की प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक-63/08 पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना हेतु केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा साक्षी निशा बाई, सगोतिनबाई की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा प्रदर्श-26 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी कुमारी निर्मला, मंतीबाई, सगोतिनबाई, श्रीमती निशा उर्फ ईशाबाई, समलीबाई, श्रीमती सुगनीबाई, कु. लताबाई, समारु बैगा, सुन्दर बैगा, शिव पारधी के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक-18/07/2008 को संजय परते के पेश करने पर एक पीले कलर का डम्पर क्रमांक-एम.एच.31/ए.पी.4014 मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का परीक्षण कराया गया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है, किन्तु आरोपी के स्थान पर संजय परते का नाम दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में दर्ज किये जाने का स्पष्टीकरण अपनी साक्ष्य में पेश नहीं किया है।

18— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन डम्पर से दुर्घटना घटित होने और उसमें स्वयं के आहत होने के संबंध में कथन किये हैं। सभी आहतगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना के समय डम्पर के पलट जाने से उन्हें चोट कारित हुई थी। यद्यपि उनकी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त घटना के समय दुर्घटना कारित

डम्पर को आरोपी के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाया जा रहा था। सभी आहतगण ने एकमत में अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना के समय सड़क के निर्माण के दौरान डम्पर मुरम में धस गया था, जिस कारण उसके पलटने से दुर्घटना घटित हुई। साक्षीगण ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को धीमी गति से चलाया जा रहा था और दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण में से अधिकांश साक्षी ने घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चलाये जाने के कथन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है तथा उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि घटना के समय उक्त वाहन को कौन चला रहा था।

19— अभियोजन ने घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी के द्वारा चलाये जाने के संबंध में ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है। स्वयं अभियोजन का मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय कथित डम्पर का चालन संजय परते के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। जबकि अनुसंधान के दौरान साक्षियों के पुलिस कथन के अनुसार उक्त वाहन आरोपी बुधराम के द्वारा चलाये जाने का उल्लेख किया गया है। घटना के महत्वपूर्ण साक्षीगण के न्यायालयीन कथनों में घटना के समय उक्त वाहन के चालक के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित कथित चालक संजय परते (अ.सा.11) को अभियोजन ने जप्ती कार्यवाही के साक्षी के रूप में पेश किया है, जिसने जप्ती की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। बचाव पक्ष की ओर से घटना के समय उक्त वाहन के चालक के रूप में संजय परते का नाम रिपोर्ट में दर्ज होने के संबंध में अनुसंधानकर्ता अधिकारी रविकांत अवस्थी (अ.सा.13) के प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई है, जिसके संबंध में साक्षी का कथन है कि अनुसंधान के दौरान सही आरोपी का पता लग पाया। उक्त के अलावा साक्षी मोहनलाल (अ.सा.9) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में डम्पर के चालक के रूप में संजय परते का नाम समलीबाई के द्वारा बताये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। अभियोजन ने उक्त कथित चालक के रूप में आरोपी को छोड़कर संजय परते का नाम लेख किये जाने के संबंध में संदेहास्पद परिस्थिति एवं तथ्य को महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

20— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से आहतगण मन्तीबाई, निर्मलाबाई, निशाबाई, जगनीबाई, रमोतिनबाई एवं समलीबाई को साधारण उपहति एवं आहत लता को घोर उपहति कारित होने के समर्थन में चिकित्सीय साक्षी ने अपने अभिमत में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आहतगण को किस प्रकृति की चोट कारित हुई थी। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि उक्त

आहतगण मन्तीबाई, निर्मलाबाई, निशाबाई, जगनीबाई, रमोतिनबाई एवं समलीबाई को साधारण उपहति एवं आहत लता को घोर उपहति हुई थी तब भी उक्त दशा में उक्त उपहति के लिए प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषसिद्ध किया जाना न्याय संगत नहीं माना जा सकता।

21— अभियोजन को अपना मामला स्वयं अपने बल पर प्रमाणित किया जाना होता है। वह बचाव पक्ष की किसी कमी का फायदा प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि बचाव पक्ष को बचाव में संदेहास्पद परिस्थिति को प्रकट करना होता है। मामले में अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य में जो संदेहास्पद परिस्थितियाँ एवं तथ्य प्रकट किये हैं उन्हें साक्षियों के कथन में दूर नहीं किया गया है। आरोपी के विरुद्ध किसी भी साक्षी ने यह स्पष्ट कथन नहीं किये हैं कि घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाया जा रहा था या उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती थी। सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने एकमत होकर अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को उसका चालक धीमी गति से चला रहा था तथा मुरम में वाहन धस जाने से पलट गया, जिसमें आरोपी की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित वाहन को चलाया जा रहा था तब भी उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक—एम.एच.31/ए.पी.4014 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर वाहन को पलटा कर आहत मन्तीबाई, निर्मलाबाई, निशाबाई, जगनीबाई, रमोतिनबाई एवं समलीबाई को साधारण एवं आहत लता को घोर उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (छ: काउंट), 338 के अंतर्गत अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

23— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक—एम.एच. 31/ए.पी. 4014 मय दस्तावेज के रजिस्टर्ड स्वामी नाजुकराम पिता तुलसीराम, निवासी नवेगांव जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधी पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की

दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)